कार्यालय नगर परिषद, सीकर

श्री कल्याण नगर परिषद भवन, राणी सत्ती रोड़, Pin 332001, Email:- sikarulb.jaipur@gmail.com

S. No. :- F. 4( )/IDSMT/MCS/2026-27/7203 Date :- 18/08/26

नीलामी हेतु निर्देश एवं शरायतनामा

1. नगर परिषद सीकर द्वारा की जा रही निलामी राजस्थान नगर पालिका शहरी भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 14 के तहत 99 वर्षीय लीज होल्ड पर आवासीय भूखण्डों को सरे आम ई–नीलामी के द्वारा विक्रय किया जाएगा।
2. निलामी से सम्बन्धित शर्तें एवं विवरण नगर परिषद कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में एवं निलामी का विवरण npsikar.in and E-auction portal वेबसाईट पर SSOID के माध्यम से देखा जा सकता है।
3. नीलामी किये जाने वाले भूखण्ड का विवरण निलामी सूचना में अकिंत किया गया है। भूखण्ड पर देय लीज राशि आरक्षित दर 7200/–प्रति वर्ग गज का नियमानुसार आवासीय भूखण्ड की 2.5 प्रतिशत एवं व्यवसायिक की आरक्षित दर का 5 प्रतिशत वार्षिक देय होगा जिसमें निमानुसार एक मुस्त 10 वर्षीय जमा कराने पर भूखण्ड को लीज मुक्त किया जावेगा। एवं नियमानुसार देय लीज में प्रत्येक 15 वर्ष पूर्ण होने पर या प्रति हस्तान्तरण पर नियमानुसार लीज में 25 प्रतिशत बेचान पर बढोतरी की जाकर पुर्ननिर्धारण किया जावेगा। देय लीज क्रेता के द्वारा यदि प्रति वर्ष जमा कराई जावेगी तो इसमें प्रति वर्ष 31.मार्च से पूर्व जमा करानी होगी अन्यथा देय लीज पर नियमानुसार ब्याज अदा करना होगा।
4. नीलामी में भाग लेने से पूर्व बोलीदाता को निलामी सूचना में अकिंतानुसार धरोहर राशि आनलाईन पॉटल पर विवरणानुसार जमा करानी होगी। बोलीदाता के पक्ष में यदि भूखण्ड की बोली स्वीकृत नहीं होती है तो उक्त राशि को स्वतः ही उनके खाते में वापिस आनलाईन हस्तान्तरित कर दी जावेगी। एवं बोली स्वीकृत होने पर उक्त बोली दाता की धरोहर राशि को जमा रखी जावेगी एवं निमानुसार अन्तिम किस्त में समायोजित कर ली जावेगी।
5. उच्चतम बोलीदाता की बोली समिति द्वारा स्वीकृत करने पर राजस्थान नगर पालिका शहरी भूमि नियम 1974 के नियमानुसार समस्त देय राशि का समयचक्र के साथ सम्पूर्ण राशि के लिए डिमाण्ड नोटिस जारी करने साथ ही भूखण्ड क्रेता के द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि तक राशि जमा कराने का दायित्व रहेगा। इसके लिए क्रेता को बार–बार सूचित नहीं किया जा सकेगा। बाली राशि जमा कराने का समय चक्र म्निानुसार होगा :–

नीलामी स्वीकृति तिथि से 03 कार्य दिवस में	नीलामी स्वीकृति तिथि से 120 दिवस में	नीलामी स्वीकृति तिथि से 180 दिवस में	यदि क्रेता कालम सं. 02 में वर्णित समय में राशि जमा कराने में विफल रहता है तो	यदि केता कालम सं. 03 में वर्णित समय में राशि जमा कराने में विफल रहता है तो
1	2	3	4	5
निलामी राशि का 15 प्रतिशत	निलामी राशि का 35 प्रतिशत	निलामी राशि का 50 प्रतिशत	उक्त देय राशि आगामी 60 दिवस तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करा सकता है।	उक्त देय राशि आगामी 90 दिवस तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करा सकता है।

6. केता के पक्ष में बोली स्वीकृत होने पर नियमानुसार एक मुश्त राशि उसी समय जमा कराई जाती है तो उसको बोली राशि का 1 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जावेगा।
7. किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सभापति/प्रशासक, नगर परिषद में निहित होगें। जिसका कारण बताया जाना अनिवार्य नहीं होगा।
8. राजस्थान नगर पालिका शहरी भूमि निष्पादन नियम 1974 एवं समय–सयम पर विभाग के द्वारा जारी संशोधित आदेशों की पालना भूखण्ड केता के द्वारा की जानी होगी।
9. बोलीदाता यह सुनिश्चित कर ले की भूखण्ड का भली–भॉति मौका निरीक्षण उपरान्त ई–नीलामी मे भाग लेवें किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
10. भूखण्ड के मौके पर नाप में अधिकता/कमी होने पर भूखण्ड की राशि नीलामी स्वीकृत राशि के अनुपातिक क्षेत्रफल अनुसार जमा करवानी होगी। यदि किसी भूखण्ड के नाप में या भूमि सम्बन्धी के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उक्त भूखण्ड के बदले में किसी भी दशा में कोई अन्य भूखण्ड स्वीकृत नहीं किया जायेगा बल्कि केता

के द्वारा उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में जमा राशि को वापिस लोटा दी जावेगी। बोली दाता का दायित्व रहेगा की भूखण्ड का मौंके पर निरीक्षण एवं जानकारी प्राप्त कर ही नीलामी में भाग लेवे।

11. भूखण्ड पर निर्माण नियमानुसार क्रय से **07** वर्ष की अवधि में नगर परिषद सीकर के स्वीकृत नक्शे या तत्समय में प्रचलित भवन निर्माण वीनियमों तहत स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
12. राजस्थान नगर पालिका शहरी भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियमों में विभागीय अधिसूचना कमांक F.8(Ga)( )Niyam/DLB/2019/35215 dated 30-10-2019 and F.17(22)UDH/Rules/2020 dated 18-01-2023 की पालना भूखण्ड केता द्वारा की जानी आवश्यक होगी ।
13. योजना का मानचित्र एवं विशेष जानकारी कार्यालय समय में सम्बन्धित शाखा से ली जा सकती है।
14. नीलामी के सम्बन्ध में समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र सीकर रहेगा।

आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

No. :- F. 4 ( )/IDSMT/MCS/2026-27/ 7204 Date:- 18/08/26

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एंव पालनार्थ

1.सम्बन्धित लिपिक को आदेशित किया जाता है कि उक्त का प्रचार प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा पर चस्पा करावें एवं नियमानुसार वेबसाईट एवं ई–आक्सन पर अपलोड करावें।

आयुक्त
नगर परिषद, सीकर